भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3839
(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क परियोजनाएं

3839. श्रीमती जून मालिया:
श्री शफी परम्बिल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत, पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन सड़कों का केरल सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का केरल सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी परियोजना में विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और चूक करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) केरल सहित सभी लंबित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2021-22 से 06.08.2026 तक, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 98,505 किमी लंबाई के कुल 18,807 सड़क कार्य तथा 3661 पुलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,34,751 किमी (पिछले वर्षों में स्वीकृत सड़क लंबाई सहित) के कुल 23,247 सड़क कार्य तथा 5,287 पुल निर्मित किए जा चुके हैं। दिनांक 06.08.2026 तक, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 41,368 किमी लंबाई के कुल 12,447 सड़क कार्य तथा 1775 पुल कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का राज्यवार, जिलावार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार

ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट ***https://pmgsy.dord.gov.in/dbweb*** पर वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध है।

ख): पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिलेवार न जारी करके समग्र रूप में जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधि चल रहे कार्यों, परियोजना में प्राप्त प्रगति तथा आवश्यक दस्तावेजों के समुचित प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी की जाती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधि एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से जारी की जाती है। तदनुसार, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विगत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): केरल राज्य में, विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 699 किमी लंबाई के 134 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने पीएमजीएसवाई-III कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। तदनुसार, राज्य को चल रहे कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निर्माण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। जिन मामलों में विलंब ठेकेदार के कारण होता है, वहां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी)/अनुबंध करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ नोटिस जारी करना, नुकसान भरपाई करना तथा पूर्ण उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करना शामिल है।

शेष कार्यों को संशोधित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा कार्यान्वयन की प्रगति की सूक्ष्म निगरानी की जाती है। परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समीक्षा अलग-अलग मामलों के आधार पर की जाती है तथा उनके समयबद्ध समाधान हेतु सभी संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में आवश्यक हस्तक्षेप किए जाते हैं।

(घ): केरल राज्य सहित कार्यों की समयबद्ध पूर्णता, गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण और ग्रामीण सड़कों की बेहतर सुगमता सुनिश्चित करने हेतु पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की निगरानी एक बहु-स्तरीय तंत्र के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

- उपलब्धियों हेतु वार्षिक वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करना। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उपलब्धियों की नियमित निगरानी क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, मासिक समीक्षा बैठकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से की जाती है। कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु राज्य सरकारों को भूमि संबंधी मुद्दों, वन तथा वन्यजीव अनापत्तियों से

संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने की भी सलाह दी जाती है।

- जियो-टैग की गई तस्वीरों तथा जीआईएस आधारित निरीक्षणों द्वारा सहायता प्राप्त ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से निगरानी की जाती है।
- कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह भी निर्धारित किया गया है कि वे मंत्रालय द्वारा कार्यों की स्वीकृति की तिथि से निविदा आमंत्रित करने तथा कार्य आवंटित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करें।
- निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू), राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) से युक्त त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र अपनाना।
- पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक अनुरक्षण (ई-मार्ग), एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई कार्यों के पूर्ण होने की तिथि से पांच वर्ष तक (अर्थात दोष दायित्व अवधि- डीएलपी के अंतर्गत) अनुरक्षण की निगरानी हेतु लागू किया गया है। दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को अनुरक्षण भुगतान हेतु सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अर्थात ई-मार्ग की शुरुआत के परिणामस्वरूप, ऐसे भुगतान निष्पादन-आधारित अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता के अनुरूप किए गए हैं।

ये उपाय केरल राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण संपर्कता में सुधार हो सके तथा स्थायी, बारहमासी ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3839 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध अनुबंध

विगत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)
		2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			2026-27 (6.08.2026 तक)		
1	अंडमान एवं निकोबार	40	9.22	5.45	50	12.22	7.51	50.00	12.22	22.93	16.88	0.05	3.97	20.00	0.00	12.14	30.00	7.50	3.44
2	आंध्र प्रदेश	625	50.00	508.86	600	644.125	748.63	400.00	140.64	368.03	800.00	507.32	370.60	860.00	118.74	432.40	250.00	104.18	173.64
3	अरुणाचल प्रदेश	800	1090.60	1279.07	750	1018.74	1246.99	590.00	339.90	320.09	700.00	609.00	726.10	1000.00	490.98	775.52	1150.00	75.55	83.94
4	असम	800	1591.50	2488.03	900	664.91	1118.21	590.00	391.29	571.22	350.00	79.24	264.55	800.00	229.91	211.38	1050.00	110.96	123.29
5	बिहार	400	375.00	1992.99	1160	1443.23	2088.54	1030.00	963.37	1815.63	920.00	1195.44	2312.80	1040.00	386.88	1288.01	750.00	121.30	202.17
6	छत्तीसग	550	394.41	1902.3	540	995.866	1057.3	610.00	401.77	388.09	900.00	325.24	421.88	1520.0	557.2	357.12	1250.0	191.6	319.4

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)
		2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			2026-27 (6.08.2026 तक)		
	ढ़			4			5							0	3		0	6	3
7	गोवा	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8	गुजरात	400	195.50	400.16	300	266.625	492.19	370.00	298.41	330.33	310.00	220.65	361.22	100.00	126.82	281.14	300.00	30.33	50.55
9	हरियाणा	300	353.23	583.12	150	168.25125	213.81	150.00	74.01	150.86	100.00	27.38	34.60	5.00	0.05	4.23	38.55	0.07	0.12
10	हिमाचल प्रदेश	700	517.45	933.22	600	624.76	626.84	750.00	617.56	371.54	650.00	634.82	904.14	1100.00	936.32	1356.64	900.00	273.62	304.02
11	जम्मू एवं कश्मीर	948	1328.34	1485.28	1450	717	1114.78	1450.00	1304.17	1256.96	1400.00	1028.25	1070.65	998.00	261.87	420.50	980.00	214.01	237.79
12	झारखंड	800	0.00	598.44	1100	332.63	745.63	790.00	752.80	1323.90	1550.00	961.77	1374.96	950.00	150.54	631.64	650.00	77.32	128.87
13	कर्नाटक	500	704.25	1499.18	550	720.4669	864.71	290.00	72.25	404.03	220.00	100.58	142.81	75.00	36.13	48.94	30.00	5.47	9.12
14	केरल	140	0.00	46.91	150	106.7641	124.97	220.00	54.25	164.95	450.00	122.27	249.15	300.00	130.35	271.42	300.00	38.28	63.81
15	लद्दाख	110	140.79	109.66	150	109.9685	107.81	150.00	37.50	30.44	150.00	113.81	111.33	80.00	76.25	107.15	70.00	17.11	20.56
16	मध्य प्रदेश	825	1392.25	2419.14	965	1557.47	1978.73	640.00	599.42	1105.16	840.00	703.29	966.83	720.00	460.88	763.23	500.00	113.90	189.83

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)
		2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			2026-27 (6.08.2026 तक)		
17	महाराष्ट्र	305	0.00	376.73	710	742.995	1074.02	1130.00	1110.80	1507.37	1020.00	854.93	1524.10	1360.00	529.73	1402.23	650.00	87.99	146.65
18	मणिपुर	750	742.00	710.58	600	744.98	539.11	660.00	161.29	296.83	400.00	2.81	88.18	20.00	49.24	40.99	1230.00	3.35	3.72
19	मेघालय	400	483.92	536.92	230	405.885	373.72	440.00	122.59	238.19	400.00	219.62	373.80	600.00	351.04	388.09	780.00	125.41	139.35
20	मिजोरम	200	74.34	332.86	290	584.195	315.94	370.00	141.37	381.62	350.00	87.50	45.78	300.00	86.12	121.00	450.00	131.43	146.03
21	नागालैंड	140	145.31	125.83	90	183.15	198.65	230.00	161.29	94.01	350.00	2.25	30.50	400.00	78.84	121.43	500.00	14.01	15.56
22	ओडिशा	550	404.12	1795.5	860	1235.87934	2088.94	1125.00	1262.55	1589.76	1000.00	712.39	736.53	660.00	285.61	447.72	320.00	48.22	80.37
23	पुडुचेरी	52	11.66	0	50	24.72	27.08	50.00	0.27	11.89	100.00	25.00	0.00	2.00	0.98	6.56	20.00	9.45	15.75
24	पंजाब	200	68.59	295.14	400	231.0625	428.72	440.00	265.10	522.95	400.00	319.87	328.82	346.77	137.07	369.79	180.00	5.00	8.34
25	राजस्थान	500	917.51	1452.64	400	199.9	372.38	550.00	404.79	633.09	500.00	450.46	932.86	830.00	221.46	314.94	720.00	35.69	59.49
26	सिक्किम	217	107.28	177.89	150	263.33175	230.34	150.00	94.37	130.13	280.00	70.00	148.98	175.00	115.14	175.99	230.00	14.16	15.73
27	तमिलनाडु	450	440.00	1169.56	320	613.7	532.36	370.00	411.36	777.78	750.00	638.66	741.43	1000.00	508.74	1465.19	100.00	42.28	70.47

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)	सांकेतिक आवंटन	निर्गमन	व्यय (राज्यांश सहित)
		2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26			2026-27 (6.08.2026 तक)		
28	तेलंगाना	400	86.38	410.8	370	321.4275	345.32	540.00	296.96	479.41	460.00	132.57	399.90	575.00	209.80	527.56	525.00	24.83	41.38
29	त्रिपुरा	100	73.88	202.93	160	267.59	152.9	290.00	185.03	112.64	400.00	172.75	98.25	360.00	142.40	186.73	325.00	33.78	37.54
30	उत्तर प्रदेश	800	1418.55	2074.26	2245	2068.57	3267.32	2365.00	2679.63	3791.65	1920.00	1968.60	2703.84	1010.00	138.93	648.75	600.00	16.42	27.37
31	उत्तराखंड	600	787.00	1218.45	900	1297.16	1350.02	740.00	551.05	800.68	760.00	815.50	934.03	700.00	446.16	595.17	420.00	26.36	29.29
32	पश्चिम बंगाल	450	49.94	701.28	700	381.03319	394.75	380.00	99.28	309.11	450.00	225.00	269.77	1000.00	534.31	1140.56	1150.00	133.40	222.33
योग		**14052**	**13952.99**	**27833.22**	**17890**	**18948.60603**	**24228.27**	**17910.00**	**14007.29**	**20301.27**	**18908.86**	**13327.03**	**18672.36**	**18906.77**	**7798.51**	**14914.16**	**16498.55**	**2133.04**	**2969.95**